

प्रेषक,

अधिशायसी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-हरदोई।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक 528/ग्रा०अ०वि०/निविदा पत्रावली/2017-18 दिनांक 15.05.2017

निविदा सूचना

कृपया संलग्न निविदा का प्रकाशन अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं टॉइम्स ऑफ इण्डिया मुख्य समाचार पत्रों में दिनांक 03.06.2017 से पूर्व (दो बार) जिनका प्रसारण हरदोई एवं आस-पास के जनपदों में हो प्रकाशित कराने की कृपा करें। साथ ही समाचार पत्रों के प्रबन्धकों को निविदा सूचना प्रकाशन सम्बन्धी समाचार पत्र की एक-एक प्रति इस कार्यालय को भेजने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

संलग्नक:- निविदा सूचना 6 प्रतियों में
एवं सी०डी०।

भवदीय

अधिशायसी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-हरदोई।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सेवा में, निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, आई०टी०सेल जवाहर भवन लखनऊ।
 2. अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ परिमण्डल लखनऊ।
 3. जिलाधिकारी, हरदोई।
 4. मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
 5. अधिशायसी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड-प्रथम/द्वितीय, लोक निर्माण विभाग हरदोई।
 6. अधिशायसी अभियन्ता, नलकूप खण्ड हरदोई।
 7. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
 8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी हरदोई।
 9. जिला सूचना अधिकारी जनपद-हरदोई।

अधिशायसी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-हरदोई।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, हरदोई

निविदा आमंत्रण सूचना

1. उ0प्र0 राज्यपाल महोदय की ओर से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों (श्रेणी-ए,बी,सी,डी, एवं ई) जिसके लिये अधिकृत है से, प्रतिशत दरों पर निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

पत्रांक. 528 दिनांक :- 15.05.2017

क्र0	सं	जनपद	कार्य का विवरण	विकास खण्ड का नाम	आकलित धनराशि (लाख रु0में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा मूल्य (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	अधिशासी अभियन्ता कार्यालय का पता	अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय का पता	जिलाधिकारी का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	हरदोई		देवेन्द्र प्रताप कश्यप के मकान से वेदमाता मन्दिर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य	स्थानीय	18.000	0.900	500+300+VAT	2 माह	विकास भवन हरदोई	निकट चिनहट ब्लाक आफिस लखनऊ	जिलाधिकारी हरदोई
2	हरदोई		शाहजहाँपुर रोड से कि0मी0 7 कौडा में गौशाला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	बावन	34.25	1.713	500+300+VAT	2 माह	विकास भवन हरदोई	निकट चिनहट ब्लाक आफिस लखनऊ	जिलाधिकारी हरदोई

निम्न ऑगनबाडी केन्द्रों पर सामग्री आपूर्ति का कार्य।

1	हरदोई	बहुति	भरावन	5.000	0.250	500+250+VAT	1 माह	विकास भवन हरदोई	निकट चिनहट ब्लाक आफिस लखनऊ	जिलाधिकारी हरदोई
2	हरदोई	बहुति का मजरा भिखरीपुर	भरावन	5.000	0.250	500+250+VAT	1 माह	विकास भवन हरदोई	निकट चिनहट ब्लाक आफिस लखनऊ	जिलाधिकारी हरदोई
3	हरदोई	श्यामदासपुर	भरावन	5.000	0.250	500+250+VAT	1 माह	विकास भवन हरदोई	निकट चिनहट ब्लाक आफिस लखनऊ	जिलाधिकारी हरदोई
4	हरदोई	सर्धेंचामऊ	साण्डी	5.000	0.250	500+250+VAT	1 माह	विकास भवन हरदोई	निकट चिनहट ब्लाक आफिस लखनऊ	जिलाधिकारी हरदोई
5	हरदोई	खेरवा अमजदपुर	साण्डी	5.000	0.250	500+250+VAT	1 माह	विकास भवन हरदोई	निकट चिनहट ब्लाक आफिस लखनऊ	जिलाधिकारी हरदोई
6	हरदोई	पुरौरी	बावन	5.000	0.250	500+250+VAT	1 माह	विकास भवन हरदोई	निकट चिनहट ब्लाक आफिस लखनऊ	जिलाधिकारी हरदोई

- प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की अनुमन्य अवधि (बारिस के मौसम को सम्मिलित करते हुये) कालम (08) में दर्शायी गयी है।
- निविदा स्वीकार करने की वैधता, निविदा प्राप्त करने की तिथि से तीन माह (90दिन) होगी। एक बार दी गयी निविदा वापस नहीं ली जा सकती है।
- टेण्डर प्रपत्रों का सेट कालम 9,10 एवं 11 में अंकित सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, हरदोई अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल-लखनऊ एवं जिलाधिकारी हरदोई कार्यालय से सम्बन्धित कार्यों का किसी भी कार्यालय दिवस में अपराह्न 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक दिनांक 03.06.2017 से 04.06.2017 तक रु0 500.00 स्टेशनरी चार्ज एवं निविदा मूल्य जैसा कि कालम '07' में अंकित है नगद देकर अथवा सिड्यूल्ड बैंक से अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग हरदोई के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा क्रय किया जा सकता है इच्छुक निविदादाता अग्रिम सूचना निविदा क्रय किये जाने वाले कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित निविदा को जो कि दिनांक 04.06.2017 को 3.00 बजे सांय तक प्राप्त होगी उस पर ही विचार किया जायेगा किसी प्रकार के पोस्टल डिले अथवा निविदा न प्राप्त होने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालय की नहीं होगी निविदा प्रपत्र जो कि www.UPgv.nic.in की वेबसाईट से रु0 500.00 स्टेशनरी चार्ज एवं निविदा मूल्य जैसा कि कालम '07' में अंकित है के सिड्यूल्ड बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, हरदोई के पक्ष में देय हो को संलग्न कर डाउन लोड किया जा सकता है। उपरोक्त सम्बन्धित कार्यों की ड्राईंग सम्बन्धित कालम में अंकित कार्यालय में उपलब्ध होगी।
- डाउन लोडेड निविदा प्रपत्रों में एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय में उपलब्ध प्रपत्रों में यदि कोई अन्तर/ त्रुटि पायी जाती है तो कार्यालय में उपलब्ध प्रपत्रों को सही माना जायेगा। समस्त निविदायें ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ही प्राप्त की जायेगी।
- प्रत्येक दशा में उक्त निविदा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता अथवा जिलाधिकारी कार्यालय में दिनांक 05.06.2017 को अपराह्न 12.30 बजे तक ही प्राप्त की जायेगी जो कि उसी कार्यालय दिवस को दिनांक 05.06.2017 को अपराह्न 3.00 बजे कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जैसा कि कालम '09' में अंकित है में उपस्थिति निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी। अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्राप्त होने या खोलने की तिथि पर कार्यालय बन्द रहता है जो निविदा प्राप्त होने या खोलने की तिथि अगले कार्यालय दिवस में की जायेगी, स्थान व समय तथा निविदा की वैधता अवधि पूर्ववत् रहेगी।
- निविदा के साथ कालम '06' में अंकित धरोहर धनराशि सम्बन्धित कार्यों के अनुसार अवश्य संलग्न होनी चाहिए। धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बैंक से निर्गत फिक्स्ड डिपाजिट रशीद, एन.एस.सी., पोस्ट आफिस पास बुक जो कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के पक्ष में निर्गत हो के रूप में होगी, नगर विकास / कोआपरेटिव बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0स्वीकार नहीं होगी।
- ऐसे निविदादाता जिनके सगे सम्बन्धी या दंपति के नजदीकी रिस्तेदार (प्रथम ब्लड रिलेशन या उनके दंपति के ब्लड रिलेटेड) / प्रखण्ड / मण्डल कार्यालय में कार्यरत हैं को निविदा डालने की अनुमति नहीं होगी। प्रखण्डीय लेखधिकारी या अधीक्षण अभियन्ता से अवर अभियन्ता के मध्य या अन्य किसी भी पद पर तैनात अधिकारी के बारे में पद व नाम सहित विस्तृत विवरण की सूचना शपथ पत्र के द्वारा स्पष्ट रूप से निविदादाता को अपनी निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा।
- कोई भी राजपत्रित अधिकारी अथवा अभियन्ता राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार के अभियन्त्रण विभाग में तैनात हो अथवा उसकी सेवा निवृत्त दो वर्ष से कम हो को बिना सरकारी अनुमति के कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। यदि कोई कान्ट्रेक्टर अथवा उसकी कार्य में इस प्रकार के कोई अधिकारी / कर्मचारी पाये जाते हैं तो उनका कान्ट्रेक्ट निरस्त कर दिया जायेगा।

- 10- निविदा प्रपत्रों में वांछित सूचनाओं से सम्बन्धित विवरण योग्यताओं, अर्हताओं, कार्य की प्लान ड्राइंग, विशिष्टता एवं कार्य की शर्तों, कार्य की शर्तों तथा शर्तें जिनको पूर्ण करना अनिवार्य है को सम्बन्धित कार्यालय अधिशासी अभियन्ता से किसी भी कार्यालय दिवस में दिनांक 03.06.2017 से 04.06.2017 तक देखी व प्राप्त की जा सकती है।
- 11- ऐसे निविदादाता जिनका अपराधिक रिकार्ड है वह टेण्डर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकते हैं।
- 12- ऐसे निविदादाता जो कि राज्य वार काउंसिल में पंजीकृत है को टेण्डर प्रक्रिया में भागीदारी की अनुमति नहीं है।
- 13- ऐसे कार्य जिनकी लागत ₹010.00लाख से अधिक है उनको सारी सूचनायें निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक -1) पर शपथ पत्र के रूप में देनी होंगी। निविदा क्षमता के आकलन हेतु आवश्यक सूचनायें संलग्न होनी चाहिए। प्रत्येक निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व संतुष्ट होना चाहिए कि उसकी क्षमता उस कार्य को पूर्ण करने की है। निविदा क्षमता का आकलन हेतु आवश्यक सूचनायें संलग्न होनी चाहिए। प्रत्येक निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व संतुष्ट होना चाहिए कि उसकी क्षमता उस कार्य को पूर्ण कराने की है। निविदा क्षमता का आकलन संवशन-3 में अंकित होनी चाहिए, जो निविदादाता निविदा क्षमता नहीं रखता है की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 14- प्रत्येक निविदा के साथ समस्त सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर (टी-4, से टी-6) अवश्य संलग्न की जानी चाहिए।
- 15- निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा डालने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण कर सन्तुष्ट होने पर ही निविदा डाले, निविदा स्वीकारोपरान्त कार्यस्थल की किसी बाधा के सम्बन्ध में किये जाना वाला कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
- 16- एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
- 17- अनुबन्ध बनाये जाने पर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य का अधिनियम के अन्तर्गत कार्य निविदा का पंजीकरण कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- 18- शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुपालन में विभागीय दरों से 10प्रतिशत तक कम दरों पर 0.50प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10प्रतिशत से अधिक कम दरों पर 1प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी देना अनिवार्य होगा।
- 19- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 20- किसी भी खनन सामग्री के प्रयोग हेतु निविदादाता को शासन के निर्देशानुसार वैध खनन प्रपत्र (एम0एम011) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में शासन की निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती की जायेगी।


 अधिशासी अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
 प्रखण्ड-हरदोई